# राष्ट्रीय नस्लवाद-विरोधी कार्ययोजना

## कार्ययोजना के बारे में

वर्ष 2011 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक राष्ट्रीय नस्लवाद-विरोधी कार्ययोजना बनाने का संकल्प लिया।
इस राष्ट्रीय नस्लवाद-विरोधी कार्ययोजना का उद्देश्य है:
ऑस्ट्रेलिया के जन-समुदाय में यह स्पष्ट समझ विकसित करना कि नस्लवाद क्या है और इसे कैसे कम किया या रोका जा सकता है।
इस कार्ययोजना के लक्ष्य निम्नांकित हैं:

- नस्लवाद के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और यह बताना कि यह व्यक्तियों और व्यापक जन-समुदाय को कैसे प्रभावित करता है
- नस्लवाद की रोकथाम और उसे कम करने के लिए अच्छी कार्य-प्रथाओं और पहलों की पहचान, उनका विकास और निर्माण करना, तथा
- नस्लवाद की रोकथाम और उसे कम करने तथा नस्लवाद की स्थितियों में व्यक्तियों और समुदायों को कदम उठाने के लिए सशक्त बनाना।

इस कार्ययोजना का विकास ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग में स्थित नस्ल विभेद आयुक्त (Race Discrimination Commissioner) के नेतृत्व में एक साझेदारी के रूप में किया गया है। इस साझेदारी के अन्य सदस्य हैं: आव्रजन एवं नागरिकता विभाग (Department of Immigration and Citizenship), एटॉर्नी-जेनरल का विभाग (Attorney-General's Department), परिवार, आवास, सामुदायिक सेवाओं तथा जनजातीय मामलों का विभाग (Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs), ऑस्ट्रेलियाई बहुसांस्कृतिक परिषद (Australian Multicultural Council), ऑस्ट्रेलिया के प्रथम जनों की राष्ट्रीय कांग्रेस (National Congress of Australia's First Peoples) और ऑस्ट्रेलिया के प्रजातीय समुदायों की परिषदों का महासंघ (Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia)।
यह कार्ययोजना जुलाई 2012 से लेकर जून 2015 के बीच लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत जन , शिक्षा संसाधनों और युवाओं को संलग्न करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

## नस्लवाद क्या है?

नस्लवाद के कई रंग-रूप हो सकते हैं, जैसे: दुख पहुंचाने वाले मजाक या टिप्पणियाँ, गाली देना या बोली से दुर्व्यवहार करना, तंग करना या धमकाना, अथवा मीडिया या इंटरनेट पर ऐसे विचार प्रकट करना जिनसे खास समूहों के बीच वैमनस्य फैले। अत्यंत गंभीर रूप में, नस्लवाद के परिणाम के रूप में शारीरिक शोषण और हिंसा के कार्य शामिल हो सकते हैं।
नस्लवाद के कारण लोगों को सेवाओं तक हासिल करने या किसी रोजगार, शिक्षा, खेलकूद और सामाजिक कार्य-कलापों में संलग्न होने से रोका जा सकता है। कुछ खास समूहों को लाभ से वंचित रखने की नीतियों और कार्य-प्रथाओं के माध्यम से नस्लवाद किसी संस्था के स्तर पर भी सर उठा सकता है।

नस्लवाद के कारण अलग नस्ल या प्रजाति के लोगों को अवसरों, संसाधनों या शक्तियों तक समान पहुंच प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल पाता है। इस असमानता को न्यायोचित ठहराने के पीछे कई बार यह विश्वास काम करता है कि कोई खास प्रजाति श्रेष्ठतर या निम्नतर है।

## ऑस्ट्रेलिया में नस्लवाद का अनुभव किन्हें होता है?

नस्लवादी व्यवहार, जैसेकि किसी को गाली देना या दुर्व्यवहार करना, किसी भी प्रजातीय समूह के लोगों के बीच घटित हो सकता है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग नस्लवाद और भेदभाव के शिकार ज्यादा होते हैं, खास-तौर पर आदिम लोग व टॉरस स्ट्रेट द्वीपवासी तथा प्रजातीय एवं सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय। अपनी प्रजाति या संस्कृति के कारण कुछ धार्मिक समूहों के लोग भी भेदभाव का शिकार होते हैं।

## समुदाय की बात सुनना

मार्च से लेकर मई 2012 के बीच हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया में लोगों से बातचीत की:

- 23 परामर्श सत्रों में करीब 700 लोगों ने भाग लिया
- हमें 1500 से भी अधिक इलेक्ट्रोनिक सर्वे और 200 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

हमें सबसे बड़ी बात यह समझ में आई कि नस्लवाद के खिलाफ कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जिन क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ सक्रिय होना चाहिए उनके बारे में भी एक आम सहमति कायम हुई, जैसे:

- कार्यस्थल
- मीडिया
- स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा
- सरकारी सेवाएं
- ऑनलाइन, एवं
- खेलकूद।

## नस्लवाद – हमारे साथ समाप्त होगा

इस कार्ययोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के सभी सदस्यों का आह्वान किया जाता है कि वे नस्लवाद को खत्म करने के लिए सक्रिय हों। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से ही नस्लवाद खत्म होगा।

## हमें क्या करना है

*नस्लवाद तथा व्यक्तियों और समुदाय पर इसके प्रभावों के बारे में उत्पन्न करना।*

- नस्लवाद तथा इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जागरूकता फैलाना।
- इस कार्ययोजना और इसके क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने वाले नेताओं के साथ मिलकर काम करना।
- नस्लवाद के प्रभावों के बारे में लोगों को बनाने के लिए शोध-कार्य को बढ़ावा देना।

*नस्लवाद की रोकथाम के लिए अच्छे उदाहरण कायम करना।*

- उन नीतियों और कानूनों को अपना समर्थन देना जिनसे सभी प्रजातीय एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के ऑस्ट्रेलिया-वासियों के लिए सम्मान और समानता का विकास होता हो।
- नस्लवाद के संबंध में अच्छे शैक्षणिक संसाधनों से युक्त एक वेबसाइट का सृजन करना, जिसमें युवाओं पर खास ध्यान दिया गया हो।
- नस्लवाद का समाधान करने वाले अच्छे कार्यों में सहायता देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संस्थाओं के साथ मिलकर सक्रियता बरतना।
- राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर किए जा रहे अच्छे कार्यों में सहायता देने के लिए सभी स्तरों पर सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना।

*व्यक्तियों और संस्थाओं को नस्लवाद के बारे में सूचनाओं और संसाधनों तक पहुंच हासिल कराना, ताकि ऐसे प्रकरणों के घटित होने पर वे और अधिक सुनिश्चित महसूस कर सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए*

- ऐसे संसाधनों का विकास करना जिनसे संस्थाओं और प्रणालियों के दायरे में व्यक्तियों और समुदायों को नस्लवाद का प्रतिकार करने में मदद मिल सके
- नस्लवाद के जोखिम वाले व्यक्तियों और समुदायों को यह जानकारी मुहैया कराना कि वे कानूनी संरक्षण कैसे प्राप्त करें।

## कार्ययोजना को लागू करना

अगले तीन वर्षों में राष्ट्रीय नस्लवाद-विरोधी कार्ययोजना सभी चरणों में कार्यान्वित कर दी जाएगी।

**जुलाई 2012 से:** हम नस्लवाद के बारे में एक जन-जागरूकता अभियान चलाएंगे। हम नस्लवाद के बारे में समुदायों को जागरूक बनाने तथा इसके आर्थिक और सामाजिक नुकसानों के बारे में शोध-कार्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि नस्लवाद को कम करने तथा सम्मान और समानता का विकास करने की दिशा में किए जा रहे मौजूदा प्रयासों में हम कैसे मदद दे सकते हैं।

**जुलाई 2013 से:** हम नस्लवाद-विरोधी शिक्षा संसाधनों पर एक वेबसाइट बनाएंगे और नस्लवाद के खिलाफ सक्रियता बरतने में लोगों और समुदायों को मदद देने के लिए अच्छे संसाधनों का संग्रह करना शुरू करेंगे। संस्थाओं और प्रणालियों के दायरे में नस्लवाद को कम करने के अच्छे तरीकों की पहचान करने के लिए हम अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे।

**जुलाई 2014 से:** संग्रह और विकसित किए गए संसाधनों का उपयोग कर हम नस्लवाद का प्रतिकार करने में व्यक्तियों और समुदायों को सहायता देने की दृष्टि से अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। तीन वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रीय नस्लवाद-विरोधी कार्ययोजना की समीक्षा की जाएगी।

## आप भी भागीदार बनें

राष्ट्रीय नस्लवाद-विरोधी कार्ययोजना सचिवालय (National Anti-Racism Strategy Secretariat)

फोन: 02 9284 9600 या 1800 620 241 (TTY)

ईमेल: antiracismsecretariat@humanrights.gov.au
वेब: www.humanrights.gov.au/antiracism
पता: जीपीओ बॉक्स 5218
सिडनी न्यू साउथ वेल्स 2001

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग (Australian Human Rights Commission) नस्लवादी भेदभाव का शिकार हुए लोगों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करता है।

भेदभाव और आपके अधिकारों के बारे में नि:शुल्क सलाह पाने अथवा कोई शिकायत दर्ज़ करने के लिए आयोग की शिकायत सूचना लाइन **02 9284 9888**, **1300 656 419** (स्थानीय कॉल) या **1800 620 241** (TTY) पर फोन करें।

शिकायत दर्ज़ करने या किसी शिकायत का प्रत्युत्तर देने के बारे में जानकारी वेबसाइट www.humanrights.gov.au पर उपलब्ध है। आप इस ईमेल पर भी आयोग से संपर्क कर सकते हैं: complaintsinfo@humanrights.gov.au।